10/12/23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित
प्रकरणों में मौजा व खसरा एक ही समान
पक्षकार व विभाजन का वाद है। इसलिये
प्रकरणों को शामिल किया जाता है। प्रति
पक्ष ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया जवाब
बन्द किया गया बहस सुनी गई निर्णय पृथक से
प्रकाश में लिखा जाकर आ० निर्णय
किया गया पत्रावली बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 30 / 2022

पीठासीन अधिकारी

रज्जू दिनांक 10–05–2022

श्री नरेन्द्र कुमार मीना (आर.ए.एस.)

गिर्राज प्रसाद पुत्र नानगराम जाति माली उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड नं0 04 काला काकरा की ढाणी ग्राम पोस्ट राजौली तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादी)

बनाम्

1. चेतन बहिति पुत्र देवकी नन्दन जाति महाजन निवासी ए/5/102 कमल कमल अपार्टमेन्ट द्वितिय बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर राज0
2. गौरव जैन पुत्र पदम चन्द जैन जाति जैन निवासी 4– एम–ए60 जवाहर नगर जयपुर जिला जयपुर राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 18/12/23

संक्षिप्त मे वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जिसमे अंकित किया आराजी खसरा नं. 289/162 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा भूमि वाकै ग्रम राजौली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी का हिस्सा 3/89 व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी अनुसाद दर्ज राजस्व रिकार्ड अंकित है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि पर वर्तमान में फसल रन्जका, काचनी, प्याज, लहसुन इत्यादि बो रखी है तथा अपने हिस्से के चारो तरफ गड्डु गाडकर तारबन्दी कर रखी है। उक्त आराजी में प्रार्थी अपने पुर्वजो के समय से ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर बहामी तौर पर विभाजन कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर अपने अपने हिस्से का लगान सरकारी अदा कर रहे है। उक्त भूमि खसरा नं0 289/162 पहले उबड़ खाबड थी जिसे प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी को अपनी मेहनत व परिश्रम से तथा लाखो रूपये खर्च कर उपजाऊ व समतल बनाया है। जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 व

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

2 का कोई सरोकार वास्ता नही है। आराजी वादग्रस्त का राजस्व रिकार्ड मे विभाजन नही होने पर आये दिन प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बीच अपनी अपनी सिमाओं को लेकर विवाद पैदा हो जाता है तथा आराजी वादग्रस्त में मौके पर मौजुद विभाजन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे नही होने से पक्षकारान मुकदमा के बीच कई मर्तबा लड़ाई झगडे व फौजदारी की सूरत पैदा हो जाती है। विगत दिनांक 21–03–2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर 10 – 15 मजदुरो के लेकर आ गया प्रार्थी के हिस्से की आराजी में नीवं खोदकर पुख्ता निर्माण करना शुरू कर दिया प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नीवं खोदने तथा पुख्ता निर्माण करने से रोकने का प्रयास किया। तब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को एलानिंया धमकी दी की वह आराजी वादग्रस्त में प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की आराजी मे जबरन नीवं खोदकर पुख्ता निर्माण करेगा एवं तुम्हारे हिस्से की भूमि को दिगर व्यक्ति या संस्था के हक मे रहन बय हस्तानान्तरण करके खुर्द बुर्द कर मौके से बेदखल करके रहेगें। अप्रार्थीगण की इसी बेजा हरकत से वाद हैतुक पैदा होकर प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है। प्रार्थी कानूनन मुस्तहक है कि वह अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवावे की अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि को अपनी बताकर जबरन नीवं खोदकर जबरन पुख्ता निर्माण न करे न करावे तथा वादी प्रार्थी के कब्जे की भूमि का किसी दिगर व्यक्ति या संस्था के हक मे रहन बैय हस्तानान्तरण विधिवत विभाजन नही होने तक न करे न करावे स्वंय अपने परिवारजन सहित सदैव प्रतिबंधित रहे तथा अप्रार्थी संख्या 3 राजस्व रिकार्ड व मौके के यथास्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री देवीसिंह चौहान एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र पर सहमति प्रदान की। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमावी जावें।

मैने बहस प्रार्थी अधिवक्ता सूनी गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया जिससे प्रतीत होता है कि आराजी खसरा नं0 289/162 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम राजौली तहसील लालसोट जिला दौसा का प्रार्थी रिकार्डेड मुताबिक जमाबन्दी काबिज खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रावधानानुसार अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि को अपनी बताकर जबरन नीवं खोदकर जबरन पुख्ता निर्माण न करे न करावे तथा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

वादी प्रार्थी के कब्जे की भूमि का किसी दिगर व्यक्ति या संस्था के हक मे रहन बैय हस्तानान्तरण विधिवत विभाजन नही होने तक न करे न करावे स्वंय अपने परिवारजन सहित सदैव प्रतिबंधित रहे तथा अप्रार्थी संख्या 3 राजस्व रिकार्ड व मौके के यथास्थिति यथावत बनाये रखे। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। प्रकरण एक ही समान मुकदमे में होने के कारण हमकिता किया जाता है। अतएव मेरी राय मे अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत आराजी नं. 289/162 रकबा 04 बीधा 09 बिस्वा भूमि वाकै ग्रम राजौली तहसील लालसोट बाबत् प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि एक दुसरे के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी पैदा न करे न करावे एवं प्रार्थी के कब्जे की भूमि का किसी दिगर व्यक्ति या संस्था के हक मे रहन बैय हस्तानान्तरण न करे न करावे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे ताफैसला वाद प्रतिबंधित रहे।

निर्णय आज दिनांक 18/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट